

चयनित अभ्यर्थी के लंबित आपराधिक मामलों के सन्दर्भ में सूचना, चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण तथा किसी और व्यक्ति विशेष, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण।

(माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 13.02.2020: in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in W.P.C. No. 536 of 2011 के आलोक में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार।)

राजनीतिक पार्टी- विकासशील इंसान पार्टी

चुनाव का नाम- बिहार विधान सभा चुनाव २०२०

राज्य का नाम- बिहार

विधान सभा का नाम- **115- बनियापुर**

अभ्यर्थी का नाम- **वीरेन्द्र कुमार ओझा**

क्रम सं.		
1.	लंबित आपराधिक मामले	
	क.) अपराध की प्रकृति	(i) 174 (A) IPC (ii) S. 188 IPC, S. 25(1B), 26, 35, Arms Act (iii) 188 IPC, 123 Representation of People Act, 1951
	ख.) केस न.	(i) Chapra Town P.S. Case No. 60/2011; Trial No. 1290/2020 (ii) Ekma P.S. Case No. 23/2000; Trial No. 55/ 2020 (iii) Mashrakh P.S. Case 98 of 2010; Trial No. 990 of 2020
	ग.) न्यायालय	(i) Shri. Sanjay Kumar Saroj, Judicial Magistrate 1st Classs, Saran,Chapra (ii) A.C.J.M.-8, Saran,Chapra (iii) A.C.J.M.-11, Saran,Chapra
	घ.) क्या आरोप विरचित किये गए हैं?	(i) हाँ (ii) नहीं (iii) नहीं
	ङ.) दोषसिद्धि की तारीख, यदि कोई	(i) 6.12.2013 (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं
	च.) सज़ा, यदि कोई	लागू नहीं
	छ.) अन्य कोई जानकारी	लागू नहीं
2.	चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण	अभ्यर्थी के विरुद्ध लगे आरोप सही नहीं हैं एवं उनके बाइज़लत बरी होने की संभावना है। अभ्यर्थी की सामाजिक भागीदारी उल्लेखनीय रही है एवं वो समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3.	किसी और व्यक्ति विशेष जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण	उपरोक्त के समान

विधान सभा का नाम- 115- बनियापुर

अभ्यर्थी का नाम- वीरेन्द्र कुमार ओझा

(छोटे सहनी)

राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, विकासशील इंसान पार्टी